मौर्य राज्य का स्वरूप - अर्थशास्त्र से प्राप्त विवरण

राजनीति में धर्म व नैतिकता को अलग रखना

कौटिल्य की एक महत्त्वपूर्ण देन यह है कि उसने राजनीति में धर्म अथवा नैतिकता को कोई स्थान नहीं दिया है। उसका कहना है कि शासक को उपने राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति करते समय नैतिकता और धर्म का ध्यान नहीं करना चाहिए। राजनीति में अच्छे व बुरे सभी साधनों का प्रयोग किया जा सकता है। इसका यह तात्पर्य नहीं कि राजा को धर्म–परायण नहीं होना चाहिये। इसे विपरीत अर्थशास्त्र में राजा के निजी जीवन में नैतिकता और धर्म पर अत्यधिक बल दिया गया है। उसे चरित्रवान तथा विनयशील बनने के लिए कहा गया है और छः शत्रुओं के प्रति सचेत किया गया है। परन्तु राजनीति और कूटनीति में इन बातों की ओर कोइ ध्यान नहीं दिया जा सकता। कौटिल्य का कहना है कि धर्म और कूटनीति दो विभिन्न विषय हैं जिनका परस्पर कोई सम्बंध नहीं।

इस प्रकार कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें बहुत–सी ऐतिहासिक व राजनैतिक बातों की जानकारी होती है। यही कारण है कि इस ग्रंथ को बहुत महत्त्वपूर्ण माना जाता है।

शासक के विषय में

कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राजत्व के विषय में अपने विचार अत्यधिक सुन्दर ढंग से प्रस्तुत किये हैं। उसके विचारानुसार शासक सर्वोच्च तथा सर्वसत्ता सम्पन्न होना चाहिए। वह पूर्णतया निरंकुश हो तथा प्रशासन का अन्तिम निर्णय उसके हाथों में होना चाहिए। परन्तु उसे सफल शासक बनने के लिए प्रजा हितैषी होना चाहिए। एक स्थान पर अर्थशास्त्र में कहा गया है–प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा की भलाई में ही उसकी भलाई। राजा को जो अच्छा लगे वह हितकर नहीं है वरन् वह है जो प्रजा को अच्छा लगे।

उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि कौटिल्य ने राजा के समक्ष प्रजा–हितैषी राजा का आदर्श रखा। उसने इस बात पर भी विशेष जोर दिया कि राजा को शिक्षित एवं विनयशील होना चाहिए, क्योंकि ऐसा न होने पर प्रजा उन्नति नहीं कर सकेगी। उसके अनुसार शासक का बुराई की ओर जाना उसके पतन का कारण होता है इसलिए छः बुराइयों (काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, उच्छृंखलता तथा विलासिता) से बचना चाहिए। कौटिल्य ने शत्रुओं के नाश के लिए अनेक तेज यन्त्रों, जहरीली गैंसों और पाउडरों का भी वर्णन किया है जिससे शत्रुओं की सेनाएं मर जाएं अथवा अन्धी हो जाएं या रोगों से पीड़ित हो जाएं।

कौटिल्य के विचारानुसार एक आदर्श राजा को दिग्विजयी होना चाहिए। उसके अनुसार राजा को समय–समय पर अपने सैनिकों में जोश बढ़ाकर साम्राज्य का विस्तार करना चाहिए। उसे यथासम्भव परिस्थितियों के अनुरूप सभी नीतियों अर्थात् साम, दाम, दण्ड भेद का प्रयोग करना चाहिए।

चाणक्य गणराज्यों के पक्ष में नही है लेकिन वह राजा को स्वेच्छाचारी बनाने के पक्ष में भी नहीं था। सिद्धान्ततः राज्यों की स्वतन्त्रता को समाप्त करके राजतंत्र को सुदृढ़ बनाने के पक्ष में था, लेकिन व्यावहारिक रूप में उसने मौर्य साम्राज्य में ही गणतन्त्रों को बनाये रखा और उन्हें मौर्य सम्राट् की अधीनता में अपनी पृथक् सत्ता बनाए रखने की आज्ञा दे दी। उसने लिखा है कि विजेता राजा को अधीन राजाओं की सम्पति, रीति–रिवाज, शासन–पद्धति का सम्मान करना चाहिए। अतः वह केवल चन्द्रगुप्त को अधिपति बनाना चाहता था किन्तु विजित राज्यों की अन्दरूनी स्वतन्त्रता नष्ट नहीं करना चाहता था।

मंत्रिपरिषद्

अर्थशास्त्र के अनुसार मंत्रिपरिषद् राज्य की एक अनिवार्य वैधानिक आवश्यकता थी। इसलिए उसने राजा को सहायता देने के लिए कए परिषद् की व्यवस्था की थी। इस मंत्रिपरिषद् में जितने अधिक मंत्री हों उतना अच्छा है। उसने इन्द्र की परिषद् का उल्लेख किया है। जिसमें 1000 ऋषि सदस्य थे। उतने छोटी परिषद् की निन्दा की है। वस्तुतः

Scanned with CamScanner

मगध साम्राज्य की विशालता और कार्यकुशलता को देखते हुए ही चाणक्य ने ऐसी व्यवस्था की है। मंत्रिपरिषद् के महत्व को बताते हुए चाणक्य ने लिखा है कि जैसे एक पहिये की गाड़ी कभी नहीं चल सकती उसी प्रकार अकेला शासक शासन नहीं कर सकता। उके विचारानुसार मंत्रियों को अनुभवी, प्रशिक्षित और बुद्धिमान होना चाहिए। चाणक्य के अनुसार राजा को हर प्रशासकीय कार्य में मंत्रियों से विचार–विमर्श करना चाहिए लेकिन उनकी कठपुतली बनकर नाचना नहीं चाहिए। उसके विचारानुसार उनके उचित परामर्श को जहां राजा को तुरन्त मान लेना चाहिए वहीं उनके अनुचित परामर्श को तुरन्त ठुकराकर स्वयं की बुद्धि से काम करना चाहिए। उसके विचारानुसार मंत्रियों की नियुक्ति उनके चरित्र की भली–भांति जांच के बाद की जानी चाहिए। अर्थशास्त्र में सबसे उंचे स्तर के कर्मचारियों को तीर्थ कहा गया है। ऐसे अठारह तीर्थों का उल्लेख है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे–मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, समाहर्ता, सन्निधाता तथा मंत्रिपरिष्दाध्यक्ष। तीर्थ शब्द एक दो स्थानों पर प्रयुक्त हुआ है। अधिकतर स्थानों पर इन्हें महामात्र की संज्ञा दी गई है। कौटिल्य के अनुसार शासक एवं मंत्रियों की आपसी बातचीत किसी गुप्त स्थान पर होनी चाहिए और उस बातचीत को गुप्त रखना अनिवार्य है। उसके विचारानुसार जो राज्य ऐसा नहीं करता वह अधिक दिनों तक टिका नहीं रह सकता।

गुप्तचर व्यवस्था

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचर व्यवस्था की आवश्यकता और महत्व को स्वीकार किया गया है। कौटिल्य के अनुसार विशाल साम्राज्य में विभिन्न मंत्रियों और पदाधिकारियों की गतिविधियों की निगरानी रखने और पड़ौसी राज्यों के विषय में सही और सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए कुशल गुप्तचर व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। कौटिल्य के अनुसार गुप्तचरों में पुरूषों के साथ–साथ स्त्रियां होनी चाहिएं क्योंकि वे इस कार्य को अधिक कुशलता से कर सकती हैं।

राजस्व

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य के राजस्व को ठीक हालत में रखने पर बहुत बल दिया गया है क्योंकि किसी सरकार की गतिविधियों की सफलता तथा विफलता इसी पर निर्भर होती है। कौटिल्य ने यह स्पष्ट लिखा है कि राजा जनता से कर वसूल करने का तभी तक अधिकारी है जब तक वह जनता की सेवा करे। राज्य को कृषि, शिल्प, उद्योग, संचार एवं व्यापार वाणिज्य की वृद्धि के लिए अनेक कारगर उपाय करने चाहिए ताकि राज्य की आय और लोगों का जीवन स्तर सुधर सके।

न्याय-व्यवस्था

कौटिल्य के अनुसार राज्य को उचित न्याय–व्यवस्था करनी चाहिए। न्याय निष्पक्ष होना चाहिए और अपराधों की संख्या कम करने के लिए दण्ड विधान कठोर होना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार अत्याचारी राजा को कभी गद्दी पर नहीं बिठाना चाहिए और राजा न्याय और धर्म का पालन नहीं करता उसे हटाने का जनता को पूरा अधिकार है।

प्रान्तीय तथा नागरिक शासन

शासन प्रबंध को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए यह जरूरी था कि राज्य को प्रांतों में बांट दिया जाए और वहां राज्यपाल नियुक्त कर दिए जाएं, जो राजा के प्रतिनिधि मे रूप में वहां शासन कर सकें। नगरों का प्रबंध भी किसी परिषद को सौंप देना चाहिए जो नगर की हर आवश्यकता को पूरा करे और वहां शासन चला सके। कौटिल्य ने यह भी लिखा है कि नगरों की जनगणना होनी चाहिए।

नौवाहन

अर्थशास्त्र से एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जानकारी नौवाहन के वि ाय में प्राप्त होती है। इसके अनुसार चन्द्रगुप्त के समय में इस ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाता था। प्रत्येक बन्दरगाह पर अधिकारी होता था जो समुद्र या नदियों में जाने वाले जहाजों और नावों की देखभाल करता था। सभी नावें और जहाज राज्य के अधीन होते थे। साधुओं और व्यापारियों से कर भी लिया जाता था।

Scanned with CamScanner